प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.09.2024

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया घोड़ा बरामद।

दिनांक 20.09.2024 को थाना निवाडी पर वादी श्री सुमित गिरी महाराज ने एक तहरीर दी कि दिनांक 17.09.2024 की रात्रि में कोई अज्ञात चोर मेरा घोडा चोरी कर ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.09.2024 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटैज, मैनुअल इन्पुट के माध्यम तथा मुखबिर की सूचना पर चोरी करने वाले अभियुक्त दीपक पुत्र बिट्टू निवासी ग्राम सनौता थाना मवाना मेरठ को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किया गया एक सफेद रंग का घोडा बरामद हुआ, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि कस्बा निवाडी के बाहर मोदीनगर रोड पर जो शमशान घाट है वहां पर एक घोडा बंधा रहता था जिसको मैं काफी दिन से चोरी करने की फिराक में था। मैने मौका पाकर दिनांक 17.09.2024 को रात के समय शमशान घाट निवाडी से घोड़ा चोरी किया था। आज मैं इस घोडे को बेचने के लिये जा रहा था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

दीपक पुत्र बिट्टू निवासी ग्राम सनौता थाना मवाना मेरठ, उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी किया गया सफेद रंग का घोडा।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना निवाडी पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा जबरदस्ती हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने , गाली-गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में वाँछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.09.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त उस्मान खान उर्फ आयुष्मान व उसके परिवारीजनों द्वारा वादिया से धोखाधड़ी व अपनी पहचान छिपाते हुए नाम बदलकर वादिया से शादी कर लेना तथा वादिया को जबरदस्ती हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने का दबाब बनाकर वादिया के साथ गाली-गलौच मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में वाँछित चल रहे अभियुक्तों के घर पर बार-बार दबिश के कारण अभियुक्त परवेज पुत्र स्व0 सलीम खान निवासी ए 214 लालकुआं चुंगी नम्बर 2 एम.डी.रोड नई दिल्ली 44 उम्र 32 वर्ष को थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा पुछताछ करने पर प्रथम दृष्टया वादिया द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतः साबित होते है। अतः आज दिनांक 21.09.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा अभियुक्त परवेज उपरोक्त को उसके द्वारा किये गये अपराध को बताते हुए थाना कार्यालय से ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त परवेज पुत्र स्व0 सलीम खान उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विरवरण

गिरफ्तार अभियुक्त परवेज पुत्र स्व0 सलीम खान उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरा नाम परवेज पुत्र स्व0 सलीम खान है। मै पेशे से वकील हूँ। मेरा वकालत रजि नम्बर बी.सी.डी./4467/2017 है। मैं अपने भाई के केस में थाने पर जानकारी करने आया हूँ। मेरे भाई के उपर मीनाक्षी ने केस किया है। जिसके सम्बन्ध मे हमारे घर पर थाना कौशाम्बी से पुलिस गयी थी। परवेज ने यह भी बताया मीनाक्षी मेरे बडे भाई उस्मान की बेगम है तथा इन दोनों की शादी वर्ष 2014 में जामिया नगर ओखला की किसी मस्जिद पतली गली में हुई थी। उसमें हमारा पूरा परिवार मौजूद था। इन दोनों का आपसी तालमेल सही नही रहा है। जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

परवेज पुत्र स्व0 सलीम खान निवासी ए 214 लालकुआं चुंगी नम्बर 2 एम.डी.रोड नई दिल्ली 44 उम्र 32 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।